न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – रवि शर्मा

R.J.S.

सेशन प्रकरण संख्या - 167/2017

सी.आई.एस.नंबर - 167/2017

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, बांसवाड़ा (राज0)

बनाम

विनोद पुत्र मनोहर रावल, निवासी बडोदिया, पुलिस थाना कलिंजरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

-आरोपी

अपराध अन्तर्गत धारा 306, भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :

लोक अभियोजक श्री गिरीश डांगर : राज्य की ओर से(जरिए वी.सी)

अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड : आरोपी की ओर से(जरिए वी.सी)

निर्णय **दिनांक 14-01-2021**

1- थानाधिकारी, पुलिस थाना कलिंजरा ने आरोपी विनोद पुत्र मनोहर रावल, निवासी बडोदिया के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 306, भारतीय दण्ड संहिता में मामला प्रमाणित पाने पर आरोप पत्र विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागीदौरा के न्यायालय में दिनांक 09.10.2017 को प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त धारा में प्रथमदृष्टया मामला बनना पाने पर प्रसंज्ञान लेते हुए कमिट से संबंधित समस्त औपचारिकताओं को पूरा कर इस न्यायालय को प्रकरण कमिट किया गया । यह प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 13.10.2017 को प्राप्त हुआ ।

2- प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी पुरूषोत्तम ने दिनांक 13.07.2017 को थानाधिकारी पुलिस थाना कलिंजरा के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि परिवादी की पुत्री डिम्पल ऊर्फ विजेता घर पर अकेली थी और उसका पडोसी मनोहर जोगी का पुत्र विनोद जोशी परिवादी के घर में घुस गया तथा परिवादी की पुत्री के साथ अश्लील हरकते करने लगा,डरा धमका कर जबरदस्ती करने हेतु टॉर्चर किया जिस कारण परिवादी की पुत्री चिल्लाई, बीच बचाव करने परिवादी की पुत्रवधु पूजा मौके पर पहुंची तो आरोपी विनोद मौके से

भाग गया। विनोद के परिवारजन मनोहर, कचरी, शमा, कंकु, गीता परिवादी के घर पर आए तथा उसकी पुत्री के साथ मारपीट व गाली गलौच की । विनोद द्वारा परिवादी की पुत्री के साथ पूर्व में भी तीन बार जबरदस्ती करने का प्रयास किया तथा टॉर्चर करने के कारण उसकी पुत्री ने विषाख्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या का कदम उठाया ..... इत्यादि।

3- इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कलिंजरा द्वारा प्रकरण संख्या 165/2017 धारा 306, भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया गया, मृतका की लाश का पंचायतनामा बनाया, मृतका की लाश का पोस्ट मार्टम किया गया, मृतका डिम्पल की लाश को परिवादी को सुपुर्द कर फर्द सुपुर्दगीनामा लाश बनाया, पोस्ट मार्टम के दौरान लिए गए विसरा को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा गया, जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लिए गए तथा बाद अनुसंधान आरोपी विनोद के विरूद्ध धारा 306, भारतीय दण्ड संहिता में अपराध प्रमाणित पाया जाने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे इस न्यायालय को नियमानुसार कमिट किया गया ।

4- अनुसंधान के दौरान संकलित की गई साक्ष्य के अनुसार दिनांक 03.03.2020 को आरोपी विनोद को अपराध अन्तर्गत धारा 306, भारतीय दण्ड संहिता के आरोप विरचित कर सुनाए व समझाए गए । आरोपी ने आरोप सुन समझ कर इंकार किया तथा प्रतिरक्षा चाही ।

5- विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू.1 पुरूषोत्तम जोशी, पी.डब्ल्यू.02 पूजा जोशी, पी.डब्ल्यू.03 गनी मोहम्मद तथा पी.डब्ल्यू.04 हर्षलता जोशी के बयान लेखबद्ध करवाए गए । बयानों के दौरान प्रकरण का परिवादी पुरूषोत्तम, परिवादी की पत्नी हर्षलता, पुत्रवधू पूजा तथा पड़ौसी गनी मोहम्मद जो कि प्रकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह थे उनके पक्षद्रोही घोषित होने को देखते हुए अन्य गवाहान की तलबी का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने से अभियोजन पक्ष की शेष साक्ष्य को बंद किया गया।

6- प्रकरण के उपरोक्त गवाहान द्वारा दी गई साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरूद्ध कोई तात्विक साक्ष्य नहीं होने के कारण बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 313, दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध नहीं किए गए । आरोपी की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया ।

7- अपने मामले को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजात में गवाह पुरूषोत्तम के पुलिस बयान प्रदर्श पी-01, लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-02, पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी-03, फर्द सुपुद्रीनामा लाश प्रदर्श पी-04, नक्शा मौका

घटनास्थल प्रदर्श पी-05, गवाह पूजा जोशी के पुलिस बयान प्रदर्श पी-06, गवाह गनी मोहम्मद के पुलिस बयान प्रदर्श पी-07 तथा गवाह हर्षलता जोशी के पुलिस बयान प्रदर्श पी-08 को साक्ष्य में पेश कर प्रमाणित करवाया गया ।

8- कोरोना महामारी के कारण अधीनस्थ न्यायालयों में सुनवाई के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 03/P.I./2022 दिनांक 11.01.2021 के अनुसार विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष की बहस जरिए वीडियो क्रोन्फ्रेन्सिंग सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

9- प्रकरण के निस्तारणार्थ निम्न विचारणीय बिन्दू बनाया गया –

> ''आया दिनांक 13.07.2017 से पूर्व वाले समय में मौजा बडोदिया में परिवादी पुरूषोत्तम जोशी की पुत्री डिम्पल ऊर्फ विजेता से अवैध संबंध बनाए, उसे अपने साथ रखने,शादी करने से मना कर उसे मरने के लिए मजबूर किया जिस कारण उसने दिनांक 13.07.2017 को विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली, इस प्रकार आप द्वारा मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया ?' '

10- न्यायालय द्वारा गठित उपरोक्त विचारणीय बिन्दू के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रकरण के परिवादी पुरूषोत्तम जोशी द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना कलिंजरा, जिला बांसवाड़ा को लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 प्रस्तुत की गई है उसमें उसके द्वारा अपनी पुत्री डिम्पल ऊर्फ विजेता को घर पर अकेली देख विनोद जोशी घर में घुस उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकते करने लगा,डरा धमका कर जबरदस्ती करने हेतु टॉर्चर किया, पुत्री के चिल्लाने पर बीच बचाव करने परिवादी की पुत्रवधु पूजा मौके पर पहुंची तो आरोपी विनोद मौके से भाग गया। विनोद के परिवारजन मनोहर, कचरी, शमा, कंकु, गीता परिवादी के घर पर आए तथा उसकी पुत्री के साथ मारपीट व गाली गलौच की, विनोद द्वारा पूर्व में भी डिम्पल ऊर्फ विजेता के साथ तीन बार जबरदस्ती करने का प्रयास किया तथा टॉर्चर करने के कारण उसकी पुत्री ने विषाख्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या का कदम उठाया ।

11- प्रकरण का परिवादी पुरूषोत्तम न्यायालय में बतौर गवाह पी.डब्ल्यू.1 परीक्षित हुआ है। इस गवाह ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय का कथन किया है कि वर्ष 2017 में सायं करीब 03.00-4.00 बजे परिवादी की पत्नी ने उसे फोन कर बताया कि पुत्री विजेता ने घर पर कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है, परिवादी के पहुंचने से पूर्व परिवादी की पत्नी व पुत्रवधु विजेता को लेकर बडोदिया सरकारी अस्पताल पहुंचे,डॉक्टर उसकी पुत्री को उल्टियां करवा रहे थे, बडोदिया से एम्बुलेन्स कर एम.जी.अस्पताल, बांसवाड़ा ला रहे थे कि रास्ते में विजेता ने दम तोड दिया।

उसकी पुत्री ने जहर आरोपी से झगडा होने के कारण खाया था, परिवादी की पुत्रवधु ने उसे अपनी पुत्री के जहर खाने में बारे में कुछ नहीं बताया, यह भी नहीं बताया कि घटना के पूर्व आरोपी विनोद परिवादी के घर आया तथा विजेता व विनोद के बीच किसी बात को लेकर कोई झगडा हुआ हो। उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किए जाने के उपरान्त विद्वान लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में इस गवाह द्वारा घटना के संबंध में किसी प्रकार की कोई सारवान व विश्वसनीय साक्ष्य इस प्रकार की पेश नहीं की है जिससे स्वयं इस गवाह द्वारा दर्ज करवाई गई लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-02 की पुष्टि होती हो ।

12- प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाहान में मृतका की भाभी श्रीमती पूजा जोशी पी.डब्ल्यू.02 ने अपने सशपथ बयानों में इस आशय की साक्ष्य दी है कि गवाह की ननद विजेता ऊर्फ डिम्पल जोशी के उल्टियां कर नीचे गिरने पर उसने अपनी सास पी.डब्ल्यू.04 श्रीमती हर्षलता को बुलाया। गवाह पी.डब्ल्यू.02पूजा जोशी तथा पी.डब्ल्यू.04 श्रीमती हर्षलता ने अपने सशपथ बयानों में आगे कथन किया कि विजेता ऊर्फ डिम्पल को बडोदिया अस्पताल ले गए तथा वहां से रेफर किए जाने पर एम.जी.हॉस्पिटल बांसवाड़ा ले जा रहे थे कि रास्ते में उसके द्वारा दम तोड दिया। विजेता ऊर्फ डिम्पल ने जहरीली दवाई क्यों खाई नहीं पता। गवाह पी.डब्ल्यू.02 पूजा जोशी ने आगे कथन किया कि गवाह के घर पर आरोपी विनोद और उसकी ननद विजेता ऊर्फ डिम्पल के बीच में कोई झगडा होते नहीं देखा। इस गवाह ने विद्वान लोक अभियोजक द्वारा दिए गए इन सुझावों को नकारा है कि विजेता ने विनोद द्वारा छेडछाड से आहत होकर जहर खाकर आत्महत्या की हो, विनोद की पत्नी शमा, माता-पिता कचरी व मनोहर, कंकु, गीता व अन्य उनके घर आए हो तथा विजेता के साथ गाली गलौच की हो एवं गवाह ने बीच बचाव किया हो। विद्वान अधिवक्ता आरोपी द्वारा की गई जिरह में गवाह पी.डब्ल्यू.02 पूजा जोशी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि विजेता व उसके पति के अच्छे संबंध नहीं होने के कारण वह तनाव में रहती थी, उनका विनोद से कोई विवाद नहीं है।

13- गवाह पी.डब्ल्यू.03 गनी मोहम्मद परिवादी पुरूषोत्तम का पड़ौसी गवाह है जिसने अपने सशपथ बयानों में विजेता ऊर्फ डिम्पल द्वारा जहरं खाने से उसकी मृत्यु होने की जानकारी होना कथन किया है। इस गवाह के अनुसार वितेजा ऊर्फ डिम्पल ने जहर क्यो खाया ,उसके व विनोद के बीच क्या संबंध थे के बारे में जानकारी नहीं होना कथन किया है।

14- ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार जब प्रकरण की मृतका विजेता ऊर्फ डिम्पल के पिता परिवादी पी.डब्ल्यू.01 पुरूषोत्म, भाभी पी.डब्ल्यू.02 श्रीमती पूजा जोशी, माता पी.डब्ल्यू.04 श्रीमती हर्षलता ने अपने सशपथ बयानों में अभियोजन पक्ष

की कहानी का समर्थन नहीं किया है तथा स्पष्ट रूप से आरोपी विनोद से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना, उसके द्वारा छेडछाड किया जान से मृतका का आहत होकर जहर खाकर आत्महत्या किए जाने के तथ्यों से स्पष्ट रूप से इंकार किया है । ऐसी स्थिति में प्रकरण के उक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण व मृतका के रिश्तेदारन गवाह सहित प्रकरण के परिवादी/पिता पी.डब्ल्यू.01 पुरूषोत्म द्वारा अपने द्वारा दर्ज करवाई गई लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-02 की पुष्टि नहीं किए जाने से प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित अन्वेषण के दौरान की गई सम्पूर्ण कार्यवाहियां संदिग्ध एवं अविश्वसनीय हो गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण उपरोक्त गवाहान द्वारा प्रकरण के विचारण के दौरान दी गई उपरोक्त प्रकृति की साक्ष्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अभियोजन का मामला लेष मात्र भी प्रमाणित नहीं हुआ है।

15- इस प्रकार ऊपर किए गए विवेचन के अनुसार आरोपी विनोद पुत्र मनोहर, निवासी बडोदिया के विरूद्ध अभियोजन पक्ष आरोपित अपराध धारा 306, भारतीय दण्ड संहिता को प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है । इस कारण आरोपी विनोद आरोपीत अपराध से दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं ।

<u>आदेश</u>

16- फलतः आरोपी विनोद पुत्र मनोहर, निवासी बडोदिया, पुलिस थाना कलिंजरा, जिला बांसवाड़ा (राज0) को आरोप अन्तर्गत धारा 306, भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है । आरोपी धारा 437 ए, दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत 20,000/- रूपये की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका पेश कर तस्दीक करवाए । आरोपी जमानत पर है, उसके न्यायालय में तारीख पेशी पर उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं ।

(रवि शर्मा)
सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा

17- निर्णय आज दिनांक 14.01.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाक सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया ।

(रवि शर्मा)
सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा